उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार–249404

Website: www.psc.uk.gov.in

☎ (01334) 244143
(01334) 244282

विज्ञापन संख्या :–A-4/E-3/A.R./2022 | दिनाँक– 08 जुलाई, 2022

सहायक कुलसचिव परीक्षा–2022
(Assistant Registrar Exam- 2022)

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	08 जुलाई, 2022
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	28 जुलाई, 2022 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क –Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि		28 जुलाई, 2022 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
2. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में **रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग** में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा **विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010** में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है।
3. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक **28 जुलाई, 2022** तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी, जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त

कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।

4. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने एवं नियत समय तक Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने पर ही "Online Application" की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। आवेदन शुल्क जमा न करने की स्थिति में प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

5. आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अर्थात् परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी चाहे तो आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर, आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित आवेदन पत्र हेतु पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। **अभ्यर्थी पुनः आवेदन करने हेतु पूर्व में किये गये ऑनलाइन आवेदन रद्द अवश्य कर लें। विज्ञापित पद हेतु, एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा किये गये समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे।**

6. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथाः– पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. अभ्यर्थी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए **परिशिष्ट–01**, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु **परिशिष्ट–02**, अनुभव प्रमाण पत्र के प्रारूप के लिए **परिशिष्ट–03,** तथा न्यूनतम अर्हक अंक हेतु **परिशिष्ट–04** का अवलोकन करें।

8. आवेदन के आरंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण–पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा (परम्परागत निबन्ध शैली) में सफल घोषित अर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन आवदेन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अनुभव, आरक्षण, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति आयोग की वेबसाईट व दैनिक समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी। **अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।**

9. फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के

विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

10. अभ्यर्थी **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका** जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवलोकन अवश्य करें। मुख्य परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों एवं **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका (समय–समय पर यथा संशोधित)** में उल्लिखित प्राविधानानुसार सम्पादित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

11. **विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर ही प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन हरिद्वार एवं हल्द्वानी** नगर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर कराया जायेगा। लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने की दशा में मुख्य परीक्षा केवल हरिद्वार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सम्पन्न करायी जायेगी।

नोट :– आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगरों में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही उस पर विचार किया जायेगा।

12. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन–पत्र Submit करना सुनिश्चित करें।

13. परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु न्यूनतम् अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट–04** में किया गया है। अभ्यर्थियों को अपनी आरक्षण श्रेणी/उप–श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

14. प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों यथा प्रारंभिक (यदि आयोजित करायी जाती है), मुख्य एवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in** तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

15. प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र **डाक द्वारा प्रेषित नहीं** किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक

समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।

16. मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यथियों को उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्याधीन विश्वविद्यालयों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक कुल सचिव पद हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये वरीयता विकल्पों के आधार पर ही विभागवार अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी।

17. अभ्यर्थी विज्ञापन में वर्णित **परिशिष्ट–3 (अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप)** पर ही वांछित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अन्य किसी भी प्रारूप में प्रस्तुत किये गये अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्याधीन विश्वविद्यालयों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक कुलसचिव के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर दिनाँक 28 जुलाई, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

02. पद का विवरण :–

(i) सहायक कुलसचिव (उच्च शिक्षा विभाग)

(iii)	**पदों की संख्या**	::	13 पद
(iv)	**वेतनमान**	::	₹ 35,400–1,12,400 (लेवल–06)
(v)	**पद का स्वरूप**	::	**(समूह'ख')** अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त/स्थायी/अस्थायी (अस्थायी पदों के आगे भी चलते रहने की सम्भावना है)।

(ii) सहायक कुलसचिव (संस्कृत शिक्षा विभाग)

(iii)	**पदों की संख्या**	::	02 पद
(iv)	**वेतनमान**	::	₹ 35,400–1,12,400 (लेवल–06)
(v)	**पद का स्वरूप**	::	**(समूह'ख')** अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त/अस्थायी (अस्थायी पदों के आगे भी चलते रहने की सम्भावना है)।

03. रिक्तियों का विवरण :–

(i) सहायक कुलसचिव (उच्च शिक्षा विभाग) – रिक्तियों की **कुल संख्या 13** है। रिक्तियों की संख्या **घटायी/बढ़ायी** जा सकती है। प्रश्नगत् पद दिव्यांगता की श्रेणियों हेतु **चिन्हांकित नहीं** है।

क्र0 सं0	पदनाम	लम्बवत् आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण श्रेणी
				उत्तराखण्ड महिला
1	सहायक कुलसचिव (उच्च शिक्षा विभाग)	अनारक्षित	07	02
		अनुसूचित जाति	03	–
		अनुसूचित जनजाति	–	–
		अन्य पिछड़ा वर्ग	02	–
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	–
		योग	13	02

(ii) सहायक कुलसचिव (संस्कृत शिक्षा विभाग) – रिक्तियों की **कुल संख्या 02** है। रिक्तियों की संख्या **घटायी/बढ़ायी** जा सकती है। प्रश्नगत् पद दिव्यांगता की श्रेणियों हेतु **चिन्हांकित नहीं** है।

क्र0 सं0	पदनाम	लम्बवत् आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण श्रेणी
				उत्तराखण्ड महिला
1	सहायक कुलसचिव (संस्कृत शिक्षा विभाग)	अनारक्षित	01	–
		अनुसूचित जाति	01	–
		अनुसूचित जनजाति	–	–
		अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	–	–
		योग	02	–

04. अनिवार्य अर्हताएं–

(क) शैक्षिक अर्हता :– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान।

(A Bachelor's Degree from a University established by Law in India.
Sound knowledge of Hindi and English language)

(ख) अनुभवः– सरकारी कार्यालय अथवा किसी विश्वविद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी में पत्र लेखन तथा लेखा नियमों का कार्य करने का **कम से कम 07 वर्ष का अनुभव**।

(Minimum seven years working experience in any Goverment office or in a University has letter drafting skill in Hindi and English and knowledge of accounts rules)।

(अनुभव प्रमाण–पत्र हेतु प्रारूप **परिशिष्ट–03** में उपलब्ध है।)

05. आयु :– आयु सीमा न्यूनतम 30 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित है। इस प्रकार आयु गणना की विनिश्चायक तिथि **01 जुलाई, 2022** को अभ्यर्थी की आयु **न्यूनतम 30 वर्ष** होनी चाहिए तथा **45 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1992 के पश्चात तथा 02 जुलाई, 1977 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

06. अधिकतम आयु सीमा में छूटः– (i) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने केन्द्रीयित सेवा अथवा विश्वविद्यालय के पदों पर कम से कम एक वर्ष की सेवा प्रदान की हो, अधिकतम आयु, उस सीमा तक अधिक होगी जितना कि उसने उपरोक्त बिंदु 05 में वर्णित आयु सीमाओं के दौरान सतत् सेवा प्रदान की है।

(In the case of a person who has already rendered at least one year's service in any of the posts in the Centralised Service or in the University, the maximum age limit shall be greater to the extent he has rendered continuous service over the age limits mentioned in above point no. 05)

(ii) विभिन्न श्रेणियों/उप–श्रेणियो के अभ्यर्थियों हेतु नियमावली एवं प्रवृत्त शासनादेशानुसार उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

07. आरक्षणः– उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज, श्रेणी/उप श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in** देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0) तथा महिला श्रेणी के

ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–2"** में नहीं है, उससे संबंधित प्रमाण–पत्र, जो संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(घ) पूर्व सैनिक की श्रेणी के आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या– 133/XXXVI (3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या– 124/XXX(2)/2020–53 (01)/2001 दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर–8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease" का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में जमा कराना होगा।

(च) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर ही दिया जायेगा।

(छ) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक–26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

08. राष्ट्रीयता :– केन्द्रीयित सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को–

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से निवास के आशय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और केन्या, उगांडा तथा यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया जिसका पहले तांगानिका और जंजीबार नाम था, नामक पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवर्जन किया हो, होना आवश्यक है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। अग्रत्तर प्रतिबन्ध यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी को उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा उत्तराखण्ड शासन से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी(ग) का है तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष के पश्चात सेवा में, यदि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, तभी रहने दिया जाएगा।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके विषय में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार मे उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है और उसे इस शर्त पर अस्थायी रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र या तो वह प्राप्त कर ले या उसके पक्ष में जारी किया जाए।

09. चरित्र :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासनिक (केन्द्रीयित) सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हों। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगें, कि अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु प्रत्येक दृष्टिकोण से योग्य ठहरता हो।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार व राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पद्च्युत व्यक्ति

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

10. वैवाहिक स्थिति :– केन्द्रीयित सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परंतु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

11. शारीरिक स्वस्थता :– किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि शारीरिक व मानसिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने पदीय कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह राज्य चिकित्सा बोर्ड के समक्ष चिकित्सीय परीक्षण के लिए उपस्थित हो और उसके द्वारा स्वस्थ घोषित करते हुए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

12. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट https://psc.uk.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर MenuBar में How to Apply लिंक पर क्लिक करें। How to Apply page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात Apply Now पर क्लिक करें।

(3) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात् Basic Information फॉर्म पर अपनी सही जानकरी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें। Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर Tick कर Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile No. एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) Login करने के पश्चात Educational Details अथवा Proceed To Next Step बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर, Essential Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate, Graduation एवं Post Graduation का विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें। एक से अधिक Graduation, Post-Graduation के विवरण को भरने की स्थिति में Clear पर क्लिक कर

Graduation/Post Graduation Details में Qualification Type में पुनः Graduation/Post Graduation का चयन कर विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें एवं प्रदर्शित अन्य जानकारी भरकर Submit बटन पर क्लिक करें।

उसके पश्चात् दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर Continue बटन पर क्लिक करें। ततपश्चात् Upload Images पर क्लिक कर Photo एवं Signature को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। Photo एवं Signature के अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को Tick करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु Click here to Make Payment पर क्लिक करें। I Agree पर Tick करने के पश्चात Pay Now पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात Print Application Form पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र में **त्रुटि होने पर** अभ्यर्थी अपना **आवेदन रद्द (Cancel)** कर **पुनः आवेदन** कर सकते हैं। रद्द किये गये आवेदन पत्र का जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। **आवेदन रद्द (Cancel)** करने के लिए Cancel My Application बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्यन करने के पश्चात घोषणा को Tick कर Proceed to Cancel बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु Back बटन पर क्लिक करें। Proceed to Cancel पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी के पजींकृत मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसको की Enter OTP वाली फील्डस पर दर्ज कर Cancel Application बटन पर क्लिक करें। आवदेन **रद्द (cancel)** करने के पश्चात उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट :1 आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email-Id/Mobile Number एवं Password के माध्यम से Login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर, Personal Information, Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर क्लिक कर, Photo एवं Signature को पुनः अपलोड़ कर सकते हैं। **ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाइल न0 को Edit/Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई–मेल कर सकते हैं।**

2 आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

3 परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment के माध्यम से जमा किया जा सकता है। **(उक्त परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित 26.55 रूपये है।)**

4. **उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी** हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद Click here for Final Submission बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

13. शुल्क :– प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI Payment के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य हैः–

क्र0सं0 **(Sr. No.)**	श्रेणी **(Category)**	आवेदन–शुल्क (Aplication Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित **(Processing Fees with Tax)**	कुल शुल्क **(Total Fees)**
01.	अनारक्षित	रु0 150.00	रु0 26.55	रु0 176.55
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु0 150.00	रु0 26.55	रु0 176.55
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	रु0 60.00	रु0 26.55	रु0 86.55
04.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु0 150.00	रु0 26.55	रु0 176.55
05.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोटः– उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी, जिस वर्ग या श्रेणी यथा अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

14. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

01. आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवानियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

02. ऑनलाइन आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

03. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। अभ्यर्थियों की अनर्हता के संबंध में अनर्ह सूची आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।

(क) प्रारम्भिक परीक्षा (जोकि अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर ही आयोजित की जायेगी) हेतु निर्देश :–

(1) प्रारम्भिक परीक्षा एक छंटनी परीक्षा (Screening exam) है, जिसके अंक लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जायेगें।

(2) प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। (विस्तृत जानकारी के लिए **परिशिष्ट–1** देखें)।

(3) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगें।

(4) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले ऑनलाइन प्रवेश–पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) **अँगूठे का निशान** (Thumb Impression) : सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर–पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(6) **उत्तर कुँजी आपत्ति** : वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी से प्रतिप्रश्न आपत्ति के सापेक्ष रू0 50.00 (रू0 पचास मात्र) शुल्क के रूप में लिये जायेगें। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रतिप्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क जमा नही किया जाता है तो आयोग द्वारा उक्त आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा। भुगतान के पश्चात शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित अवधि के अंतर्गत प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण, सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(7) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड** : वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा–

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प उत्तर के रूप में रहेगें। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई अंक दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(8) प्रश्नगत परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्र को हल करने हेतु कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

(ख) लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा हेतु निर्देशः–

(i) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखेंगे। यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करता है तो उसके आवरण पृष्ठों पर ऊपर दाहिनी ओर शीर्ष पर अनुक्रमांक लिखेंगे। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए **XYZ** अथवा '**अबस**' एवं पता के स्थान पर **ABC** अथवा '**कखग**' लिखेंगे। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता हैं।

(ii) प्रश्न–पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।

(iii) अभ्यर्थी प्रश्न–पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न–पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न–पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना **अथवा** एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

(iv) अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पृष्ठों को (यदि कोई हो) ''क्रास'' करेंगे तथा प्रयोग की गयी कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर–पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे, जिन्हें कक्ष निरीक्षकों द्वारा चेक किया जायेगा।

(v) प्रश्न उत्तर पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें। उत्तर–पुस्तिका से कोई पन्ना न फाड़ें। यदि किसी पृष्ठ पर रफ कार्य (Rough Work) किया जाए या कोई उत्तर भूल से लिखा जाए तो उसे क्रॉस रेखाएं खींच कर काट दें, किन्तु पन्ना कदापि न फाड़ें।

(vi) उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–

1. पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

2. मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।

3. प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत

लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

4. उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिहन/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।

5. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।

6. उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।

7. उत्तर पुस्तिका में अप्रासंगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।

8. उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

9. उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासंगिक बाते लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।

10. प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर **XYZ** या **'अबस'** एवं पते के स्थान पर **ABC** या **'कखग'** के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

11. उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(ग) साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देशः–

(i) लिखित/मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।

(ii) साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के मूल प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(iv) मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के योग एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत **विभागवार वरीयता** के अनुसार श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को

सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

15. सामान्य निर्देशः–

1. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

2. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

3. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

4. मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

5. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

6. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

7. केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है

तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत **"अनापत्ति प्रमाण–पत्र"** प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

9. आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

10. अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेगें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगें। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in** पर भी प्रसारित की जायेगी।

11. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

12. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, पैन स्कैनर, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, पैन स्कैनर अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं।

13. **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

14. **कदाचार के दोषी** पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध **Uttarkhand Public Service Commission**

(Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 (प्रथम संशोधन 2016) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

15. **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही :** अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

16. **परीक्षा भवन में आचरण :** परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नही करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर–पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

17. अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा : **1.** अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात **(क)** गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, **(ख)** अनुचित दबाव डालना, ,या **(ग)** परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा **2.** नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा **3.** प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट–रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा **4.** जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा **5.** गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा **6.** परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, **(क)** गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना **(ख)** परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, **(ग)** परीक्षकों को प्रभावित करना, या **7.** परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या **8.** उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा **9.** परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा **10.** परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या **11.** परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग

द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या **12.** परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हैं, अथवा **13.** उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे **(क)** आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा **(ख)** उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए **(i)** आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है **(ii)** राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। **(ग)** यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक **(i)** अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और **(ii)** अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

18. **न्यूनतम अर्हक अंक – उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया नियमावली–2012 (प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014, तृतीय संशोधन–2015 व चतुर्थ संशोधन–2016)** के प्रावधानों एवं मा0 आयोग द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु **निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक परिशिष्ट–4** में उल्लिखित हैं।

19. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

20. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

21. अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in** का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

22. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

23. आयोग द्वारा चयन परिणाम पद हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

-sd-
(कर्मेन्द्र सिंह)
सचिव।

परिशिष्ट–1

सहायक कुलसचिव पद हेतु परीक्षा योजना

01. प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्रम सं0	प्रश्न–पत्र	अधिकतम अंक	समय
1.	सामान्य अध्ययन एवं वित्तीय ज्ञान	150	02 घण्टा

अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर ही प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें सामान्य अध्ययन व वित्तीय ज्ञान का एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसका पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम ही होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्य लिखित परीक्षा हेतु कोई वैकल्पिक विषय न होने के कारण प्रारम्भिक परीक्षा में एक ही प्रश्न–पत्र का प्राविधान किया गया है।

02. लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा (परम्परागत निबन्ध शैली)–

क्रम सं0	प्रश्न–पत्र	अधिकतम अंक	समय
1.	सामान्य हिन्दी	200	03 घण्टा
2.	सामान्य अध्ययन	300	03 घण्टा
3.	वित्तीय नियम व कार्यालय प्रक्रिया	300	03 घण्टा

3. साक्षात्कार : 100 अंक।

सहायक कुलसचिव परीक्षा–2022 हेतु पाठ्यक्रम

प्रश्न–पत्र–1 (सामान्य हिन्दी)

(1) निबन्ध (लगभग 400(चार सौ) शब्दों में)– 40 अंक
(2) गद्यांश (लगभग 300(तीन सौ) शब्दों में)
(क) उचित शीर्षक– 05 अंक
(ख) मूल गद्यांश का सारांश– 20 अंक } 40 अंक
(ग) तीन रेखांकित अंशों की व्याख्या–15 अंक
(3) हिन्दी आलेखन–15+15= 30 अंक
शासकीय, अर्द्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, टिप्पणी।

(4)	(क) किन्हीं पाँच शब्दों में से प्रत्येक के चार–चार पर्यायवाची शब्द बताइए	–10 अंक
	(ख) किन्हीं पाँच शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बताइए	–05 अंक
	(ग) किन्हीं पाँच शब्दों में से प्रत्येक में समास का नाम बताइए	–05 अंक
(5)	(क) किन्हीं पाँच वाक्याशों में से प्रत्येक के लिए एक–एक शब्द दीजिए	–05 अंक
	(ख) किन्हीं पाँच मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए	–15 अंक
(6)	हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद	–25 अंक
(7)	अंग्रेजी गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद	–25 अंक

टिप्पणीः– इस प्रश्न–पत्र में उपर्युक्तानुसार कुल 7 प्रश्न होगें और सभी प्रश्न अनिवार्य होगें।

प्रश्न–पत्र–2 (सामान्य अध्ययन)

1. सामान्य विज्ञान : सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होने, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो।

2. भारत का इतिहास : भारत के इतिहास के अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी।

3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन : भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतत्रंता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान।

4. भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था : भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी।

5. भारत का भूगोल तथा जनसंख्या : भारत के भूगोल भौतिक/पारिस्थितिक, आर्थिक सामाजिक जनांकिकीय पक्षों की व्यापक जानकारी।

6. राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं।

7. उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित जानकारियां : भौगोलिक परिचय, ऐतिहासिक परिचय एवं

पुरातत्व, सभ्यता एवं संस्कृति, लोक संस्कृति (लोक साहित्य, लोक कला, वीरगाथा त्यौहार, मेले, खेलकूद) राज्यव्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन, कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, प्राकृतिक सम्पदाएं एवं समसामयिक घटनाएं।

8. कम्प्यूटर सम्बन्धित आधारभूत ज्ञान।

टिप्पणीः– इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के कुल अंक 30 होंगे और 10 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न उप–प्रश्नों के रूप में भी विभाजित होंगे, जिनके कुल अंकों का योग उस प्रश्न के कुल अंकों के योग 30 के बराबर होगा।

प्रश्न पत्र–3 (वित्तीय नियम व कार्यालय प्रक्रिया)

भाग–1 (वित्तीय नियम)

(1) उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त–पुस्तिका भाग–2 खण्ड–2 से जहॉ तक इसका सम्बन्ध मूल नियम व सहायक नियमों से है। यथा वेतन निर्धारण, अवकाश नियम, सेवा सम्बन्धी प्रकरण।

(2) वित्तीय हस्त–पुस्तिका भाग–5 खण्ड–1, लेखा नियमों की जानकारी हेतु।
चैप्टर–4– व चैप्टर–5 वेतन में भत्तों सम्बन्धी लेखा नियम।
चैप्टर–6– अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन देयकों का निर्माण।
चैप्टर–7– अधिष्ठान सम्बन्धी नियम।
चैप्टर– आकस्मिक व्यय– विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेदारियॉ तथा नियंत्रक अधिकारी का दायित्व।
चैप्टर–10– ऋण अग्रिम सम्बन्धी लेखा नियम।
चैप्टर–13– निर्माण कार्य सम्बन्धी लेखा नियम।
चैप्टर–18– सेवा सम्बन्धी निधियों यथा कर्मचारी भविष्य निधि।

(3) वित्तीय हस्त–पुस्तिका भाग–3 यात्रा भत्ता सम्बन्धी नियम।
चैप्टर–1– दैनिक भत्ता की परिभाषा, परिवार की परिभाषा, विभागाध्यक्ष, सड़क यात्रा भत्ता, जनसामान्य के लिए अनुमन्य वाहनों से यात्रा करना।
चैप्टर–2– यात्रा सम्बन्धी सामान्य नियम।
चैप्टर–3– सामान्य यात्राओं सम्बन्धी नियम।
चैप्टर–4– विशेष यात्राओं सम्बन्धी नियम।
- – स्थानान्तरण पर अनुमन्य यात्रा भत्ता।
- – प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करते समय अनुमन्य यात्रा भत्ता।
- – विभागीय परीक्षाओं पर भाग लेने हेतु अनुमन्य यात्रा भत्ता।
- – निलम्बन अवधि में की गयी सरकारी यात्राओं पर अनुमन्य यात्रा भत्ता अथवा साक्ष्य हेतु उपस्थित होने पर देय यात्रा भत्ता।

चैप्टर–6– मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर अनुमन्य यात्रा भत्ता।
चैप्टर–7– वाहन भत्ता सम्बन्धी नियम।

(4) सिविल सर्विस रेगुलेशन : भाग–1, 4, 8 व 10 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू करने हेतु अंगीकृत किया गया।
भाग–4 – सामान्य पेंशन नियम।
– अर्ह सेवा की शर्तें।

– पेंशन स्वीकृत करने की शर्तें।
– देय पेंशन का निर्धारण।

भाग–8 – सेवा अभिलेखों का रख–रखाव।

भाग–10 – पेंशन आवेदन का प्रक्रियात्मक ज्ञान।

(5) भण्डार क्रय नियम तथा उत्तराखण्ड सरकार के अनुपूरक नियम तथा भण्डार क्रय के सम्बन्ध में निर्गत विभागीय (निदेशक उद्योग के) विभिन्न परिपत्र।

(6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमन्य विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के विभिन्न वेतनक्रमों में वेतन निर्धारण, समयबद्ध प्रोन्नतियॉ, डाक्टरेट उपाधि धारी प्राध्यापकों को अग्रिम वेतन वृद्धियॉ स्वीकृत करना आदि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों में उल्लिखित नियमों का सम्यक् ज्ञान।

भाग–2 (कार्यालय प्रक्रिया)

मैनुअल ऑफ गर्वनमेंट ऑडर्स को सम्दर्भ पुस्तिका के रुप में उपयोग किया जा सकता है।

(i)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत परिपत्र के कतिपय अस्पष्ट बिन्दुओं का पूर्णतया स्पष्ट करने हेतु अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र लिखने के लिए अभ्यर्थियों से कहा जाय।

(ii)अभ्यर्थियों से कहा जाय कि वे कुलपति की तरफ से कुलाधिपति को एक अ0शा0 पत्र लिखकर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के बीच वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी मामलों पर निर्णय देने का अनुरोध करें।

टिप्पणी :– उक्त प्रश्न–पत्र में ''वित्तीय नियम'' तथा ''कार्यालय प्रक्रिया'' से सम्बन्धित कुल अंक क्रमशः 225 व 75 होंगे। भाग–1 में कुल प्रश्न 7 होंगे व जिनके कुल अंक 225 होंगे एवं भाग–2 में कुल प्रश्न 3 होंगे जिनके कुल अंक 75 होंगे। कुछ प्रश्न उप–प्रश्नों के रुप में भी विभाजित होंगे, जिनके कुल अंकों का योग उस प्रश्न के कुल अंकों के योग के बराबर होगा।

3. साक्षात्कार : 100 अंक।

परिशिष्ट–02

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .... तहसील .....नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .....तहसील ..... नगर ..... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर .....

.....

दिनांक : पूरा नाम .....

.....

पदनाम .....

.....

मुहर .....

.....

जिलाधिकारी/अपर

जिला मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज
कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील .....नगर .....जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

मुहर :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या– 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

.....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री ..... निवासी ग्राम

.....तहसील ..... नगर .....

... जिला .....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .....

पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम.....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी .....

(सील) .....

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड़.....
उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :–

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप

परिशिष्ट–03

Experience Certificate

Logo of Office **(If available)**

Name of Deptt./Office :..

Address of Deptt./Office :..

Date of Reg. of Company/Firm/Society/Trust : ....

Telephone No. :...

Website :...

Dated : ....

Ref. No. -

This is to certify that Shri/Smt./Km. .... Son/Daughter/Husband of Shri/Smt.. is/was an employee of this Government/Semi-Government Department/Organization/Institution, Company/Firm/Society/Trust and duties performed by him/her during the period(s) are as under :

Name of the post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting /Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration/Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch or others
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :

Place :

Sign ....

(Name & Signature of Authorized Signatory in Capital Letters)

Designation with seal

परिशिष्ट–04

सहायक कुलसचिव परीक्षा–2022 के विभिन्न चरणों हेतु न्यूनतम् अर्हकारी अंक :–

अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत् परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) एवं मा0 आयोग द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुसार निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य हैः–

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	मुख्य/लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम् अर्हक अंक प्रतिशत में।	सम्पूर्ण प्रवीणता–सूची तैयार किये जाने हेतु परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40%	45%
2	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%	40%
3	अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	30%	35%
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं संबंधित उपश्रेणी	35%	40%

नोट– सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही मेरिट के आधार पर प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।